—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर :—

पीठासीन अधिकारी :—देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :— 252/2024

उनवान

1. जगमाल पुत्र धन्ना जाति गुर्जर निवासी ग्राम ढाल, रविन्द्र शर्मा
—— अपीलांट जरियें अधिवक्ता श्री रविन्द्र शर्मा

बनाम

1. ग्राम पंचायत ढाल, जरियें सरपंच
2. प्रीती पुत्री धन्ना,
3. सुरज पुत्र तुलसीराम,
4. बबलू पुत्र तुलसीराम,
5. शान्ति पुत्री तुलसीराम,
6. भंवरलाल पुत्र भागू,
7. महेन्द्र पुत्र भागू,
8. चन्ता पुत्री भागू,
9. पप्पू पुत्र प्रताप,
10. मूलचन्द पुत्र प्रताप,
11. गलकू पुत्री प्रताप,
12. किशना पुत्र प्रताप
13. छोटी देवी पत्नी प्रताप,
14. थैली पुत्री प्रताप,
15. देवाराम पुत्र प्रताप समस्त जाति गुर्जर नि. ढाल, नसीराबाद
16. राज. सरकार जरियें तहसीलदार ननसीराबाद.

—— रेस्पोडेन्टस :— 1 से 15 अनुपस्थित, 16 जरियें राज. पैराकार

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व ग्राम पंचायत ढाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.06.2012 नामान्तकरण संख्या 356 के द्वारा पंचायत द्वारा स्वीकृत करने के आदेश के विरूद्व अपील बाबत।

—: आदेश :— दिनांक :— 30/7/25

अधिवक्ता अपीलान्ट ने उक्त अपील पेश कर निवेदन किया कि ग्राम ढाल के खाता संख्या 495/489 किता 6 रकबा 0.62, 317/313 किता 3 रकबा 1.18 व 318/317 किता 14 रकबा 0.95 की आराजी अपीलांट व रेस्पो[illegible] 1 से 15 के नाम खातेदारी दर्ज है। उक्त आराजी के मूल खातेदार धन्ना के [illegible] के बाद नामान्तकरण संख्या 356 दिनांक 22.06.2012 के द्वारा [illegible] जगमाल के स्थान पर जग्गा व जगदीश अंकित कर दिया। [illegible] नामान्तकरण को निरस्त [illegible] निरस्त कर अपीलांट के नाम शुद्वी कर विरासत का नामान्तक[illegible] किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:04:17 IST
Reason: SelfAttested

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस को जरियें नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्टस संख्या 1 से 15 प्रकरण में अनुपस्थित रहे। राज. पैरोकार ने जाहिर किया कि वादी अपना वाद स्वयं सिद्व करे।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता अपीलांटव राज. पैरोकार के तर्को पर मन किया गया। आराजी मुताजा हाल राजस्व अभिलेख में अपीलांट के नाम जग्गा व जगदीश के रूप में अंकित है। अपीलांट का कथन है कि उसका सही व वास्तविक नाम जगमाल है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, बैंक पास बुक, राशन कार्ड व शपथ पत्र से उसके कथनों की ताईद होती है। खाता संख्या 495/489 किता 6 रकबा 0.62 की आराजी पर अपीलांट के पिता की विरासत वारिसान के नाम अंकित नही हुयी है। उक्त खाता संख्या की आराजी पर अपीलांट नियमानुसार तहसीलदार नसीराबाद के समक्ष विरासत की कार्यवाही के लिये आवेदन कर सकता है। नामान्तकरण संख्या 356 दिनांक 22.06.12 द्वारा धन्ना पि. रोडा की विरासत दर्ज करते समय अपीलांट का नाम जग्गा पि. धन्ना अंकित कर दिया है। आराजी मुतनाजा अपीलांट को जरियें विरासत प्राप्त हुयी है। उक्त आराजी पर अपीलांट का नाम जगमाल करने से अन्य सह खातेदार व राज. सरकार के हित प्रभावित नही होगे। रेस्पोडेन्टस प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। राज. पैरोकार ने भी प्रकरण का खण्डन नही किया है। उक्त नामान्तकरण तस्दीक करते समय ग्राम पंचायत द्वारा अपीलांट के नाम की विस्तृत जॉच नही की गयी है। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त नामान्तकरण तस्दीक कर विधिक त्रुटि की है।

उक्तानुसार ग्राम पंचायत ढाल द्वारा नामान्तकरण संख्या 356 में दिनांक 22.6.2012 को पारित आदेश विधिसम्मत/न्यायसंगत आदेश नही है। उक्त नामान्तकरण में विधिक तथा तथ्यात्मक त्रुटि जाहिर है, जिसके आधार पर अपील के माध्यम से उसमें हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित होने से हस्तगत अपील स्वीकार किये जाने योग्य होने से एतद् द्वारा **"स्वीकार"** की जाती है। ग्राम ढाल का नामान्तकरण संख्या 356 में दिनांक 22.6.2012 में ग्राम पंचायत ढाल द्वारा पारित आदेश अपीलांट की विरासत के हक तक निरस्त किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद ग्राम ढाल के खाता संख्या 317/313 किता 3 रकबा 1.18 व 318/317 किता 14 रकबा 0.95 की आराजी पर अपीलांट के नाम की विस्तृत जॉच कर उक्त आराजी पर अपीलांट का नाम जगमाल पुत्र धन्ना करने की कार्यवाही करावें पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:04:17 IST
Reason: SelfAttested